215

संख्या– 840/XVIII-(2)/17-12(16)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 11 मई, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में विशेष आयोजनागत सहायता (पुनर्निर्माण) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जनपद चमोली के अंतर्गत गोविन्दघाट घॉघरिया पैदल मार्ग पर लक्ष्मण गंगा नदी पर 135 मी0 स्पान के पैदल झूलापुल का निर्माण कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–50/34–बजट(एस.पी.ए.–पुनर्निर्माण) /2017–18, दिनांक 11.04.2017 के क्रम में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–01(SPA)2016 TC-1, के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में लोक निर्माण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8276/(1)/III(2)/15-31(प्रा.आ.)/2015, दिनांक 22.04.2016 के द्वारा उक्त पैदल झूलापुल के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई लागत ₹ 2073.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए ₹ 10,000/– की धनराशि विभागीय मद से स्वीकृत की गई है, के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत गोविन्दघाट घॉघरिया पैदल मार्ग पर लक्ष्मण गंगा नदी पर 135 मी0 स्पान के पैदल झूलापुल का निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत ₹ 20.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 17.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण जनपद चमोली क्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत गोविन्दघाट घॉघरिया पैदल मार्ग पर लक्ष्मण गंगा नदी पर 135 मी0 स्पान के पैदल झूलापुल का निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत ₹ 20.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 17.00 करोड़ (₹ सत्रह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

6– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

7– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/जिलाधिकारी /कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

11– विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

13– आगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

14– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख अभियन्ता/ विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

(3)

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0108–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–441/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 03 मई, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–840(1)/XVIII-(2)/17-12(16)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिलाधिकारी, चमोली।
8– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून एवं चमोली।
9– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव